न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा
पीठासीन अधिकारी अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.
रेफरेन्स प्रकरण संख्या 05/2022

उनवान

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नांगल राजावतान जिला दौसा।

बनाम

1. अर्जुन पुत्र गैंदा जाति मीना निवासी रामसिंहपुरा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

(रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956
सहपठित धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति : श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: श्री चन्द्रमोहन जोशी अधिवक्ता अप्रार्थी बहस के दौरान अनुपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनांक: 13.01.2026

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भूमिधारी) नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी की ओर से श्री चन्द्रमोहन जोशी एडवोकट उपस्थित हुये किन्तु बहस के दौरान उपस्थित नही हुये। अधिवक्ता अप्रार्थी के उपस्थित नही आने पर राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि संवत् 2003 में ग्राम नांगल राजावतान, तहसील नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नं. 305 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 306 रकबा 02 बीघा किस्म गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड थी। ग्राम नांगल राजावतान भूमि एकीकरण संवत् 2018 में साबिक खसरा नं. 305 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.रास्ता व खसरा नं. 306 रकबा 02 बीघा किस्म गै.मु. नला एवं खसरा नं. 307 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 318 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा से नवीन खसरा नं. 95 मी. रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड की गयी। भूमि बंदोबस्त अभिलेख 2041-60 संक्रिया में उक्त भूमि खसरा नं. 95 मी. रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. नला से परिवर्तित कर नवीन खसरा नं. 401 रकबा 1.10 है. किस्म बारानी-3 एवं खसरा नं. 402 रकबा 0.79 किस्म बारानी-3 दर्ज किये गये। उपखण्ड अधिकारी दौसा के आदेश क्रमांक 419 दिनांक 24.05.89 के द्वारा खसरा नं. 401/1 रकबा 0.55 है. एवं खसरा नं. 402/1 रकबा 0.40 है. कुल किता 02 कुल रकबा 0.95 है. अर्जुन पुत्र गैंदा जाति मीना सा. रामसिंहपुरा को आवंटन की जाकर ग्राम नांगल राजावतान जमाबंदी संवत् 2073-76 में खसरा नं. 401/1 रकबा 0.55 है. एवं खसरा नं. 402/1 रकबा 0.40 है. किस्म बारानी-3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.95 है. अर्जुन पुत्र गैंदा जाति मीना सा. रामसिंहपुरा की गैर

अति. जिला कलक्टर
दौसा

खातेदारी दर्ज है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 की अनुपालना में उक्त भूमि की किस्म 15 अगस्त 1947 की स्थिति में लाया जाना है। अतः रेफरेन्स स्वीकार कर हाल रिकॉर्ड की स्थिति को दुरूस्त करवाने हेतु रेफरेन्स राजस्व मण्डल को भिजवाने की अनुकम्पा करे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसील नांगल राजावतान के ग्राम नांगल राजावतान भूमि एकीकरण संवत् 2018 में साबिक खसरा नं. 305 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 306 रकबा 02 बीघा किस्म गै.मु. नला एवं खसरा नं. 307 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 318 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा से नवीन खसरा नं. 95 मी. रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. नला दर्ज रिकॉर्ड की गयी। भूमि बंदोबस्त अभिलेख 2041–60 संक्रिया में उक्त भूमि खसरा नं. 95 मी. रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा गै.मु. नला से परिवर्तित कर नवीन खसरा नं. 401 रकबा 1.10 है. किस्म बारानी–3 एवं खसरा नं. 402 रकबा 0.79 किस्म बारानी–3 दर्ज किये गये। ग्राम नांगल राजावतान जमाबंदी संवत् 2073–76 में खसरा नं. 401/1 रकबा 0.55 है. एवं खसरा नं. 402/1 रकबा 0.40 है. किस्म बारानी–3 कुल किता 02 कुल रकबा 0.95 है. अर्जुन पुत्र गैंदा जाति मीना सा. रामसिंहपुरा की गैर खातेदारी दर्ज है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है व विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गै0मु0 नला दर्ज रेकार्ड रही है तथा अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज रेकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

13/1/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय मे सुनाया।

13/1/2026

(अरविन्द शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

Scanned with OKEN Scanner